

उत्तर प्रदेश शासन  
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1  
संख्या:- 975 /सत्ताईस-1-2024-27-1001(010)/4/2024  
लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2024

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से जनहित/कार्यहित में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सिविल संवर्ग के निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित/तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	अधिशासी अभियन्ता का नाम/जन्मतिथि सर्वश्री:-	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	राम बाबू/30.06.73	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ	सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर
2.	नवीन कुमार/10.03.79	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ	अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा
3.	नीरज कुमार/16.11.77	मेरठ खण्ड, गंगा नहर, मेरठ	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ
4.	संजय सिंह/06.04.74	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ	मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ
5.	विश्वम्भर/25.03.70	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ	प्रतिनियुक्ति:-टी0ए0सी0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

2- उक्त अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक, शासन/प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायें।

सिद्धाशरण पाण्डेय  
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ० प्र०, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी/मा० राज्य मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उ० प्र०।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० शासन।
4. समस्त विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० शासन।
5. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)/प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-5/6
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
  
(सिद्धाशरण पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।